न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

क्रमांक सं. 21/2016
क्रम प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 18.03.2020

1. मिट्ठन पुत्र लटूरिया जाति जाटव निवासी जहांगीरपुर तहसील नदबई(भरतपुर) राज.

सायला

बनाम

1. पूरन पुत्र पतरी (मृतक)

1/1 धर्मसिंह पुत्र पूरन जाति जाटव निवासी नहरपुर तहसील वैर जिला भरतपुर

1/2 भीमसिंह पुत्र पूरन जाति जाटव निवासी नहरपुर तहसील वैर जिला भरतपुर

1/3 सतीश कुमार पुत्र पूरन जाति जाटव निवासी नहरपुर तहसील वैर जिला भरतपुर

1/4 राकेश कुमार पुत्र पूरन जाति जाटव निवासी नहरपुर तहसील वैर जिला भरतपुर

1/5 घंटीसिंह पुत्र पूरन जाति जाटव निवासी नहरपुर तहसील वैर जिला भरतपुर

1/6 शीला देवी पुत्री पूरन जाति जाटव निवासी नहरपुर तहसील वैर जिला भरतपुर

1/7 किशनप्यारी पत्नि पूरन जाति जाटव निवासी नहरपुर तहसील वैर जिला भरतपुर

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
3. श्रीमान सब रजिस्ट्रार नदबई

गैरसायलान

उपस्थित श्री फूलसिंह एड0

श्री प्रेमचन्द एड0

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है, जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned with CamScanner

2. यह कि आराजी खाता सं. 361 के आराजी खसरा न. हाल बंदोबस्ती शाल आराजी खसरा नम्बरान 315 रकबा 0.51, 1921 रकबा 0.82, 1922 रकबा 0.97, 1923 रकबा 0.24, 1924 रकबा 0.24, 1927 रकबा 0.48, 1930 रकबा 0.34, 1933 रकबा 0.18, 1936 रकबा 0.75, 1937 रकबा 0.63, 1938 रकबा 0.39, 1966 रकबा 0.37, 1968 रकबा 0.37 किता 13 कुल रकबा 6.29 है, वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई में स्थित है। जिसकी इन्द्राजात सायल व गैरसायलान सं. 1 के वारिस 1/1 से 1/7 व अन्य तरतीबी प्रतिवादीगण 4 लगायत 10 के नाम दर्ज है।

3. यह है कि भूप्रबंध विभाग संवत 2060 से पूर्व जमाबंदी संवत 2044 से 2047 के मुताबिक 1/3 हिस्सा रामखिलाड़ी पुत्र मंगल व अर्जुन पुत्र विस्सू हिस्सा 1/3 बाहिस्सा बराबर तथा मुताबिक बयनामा से मिट्ठन पुत्र लटूरिया वादी सायल व पूरन पुत्र पतरी प्रतिवादी सं. 1 हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार दर्ज थे। इसके बाद जमाबंदी संवत 2052 में पूरन पुत्र पतरी का नाम दर्ज कर दिया।

4. यह है कि भूप्रबंध विभाग द्वारा संवत 2060 पूर्व इन्द्राजात के विपरीत पूरन पुत्र पतरी को दो बार 1/9, 1/9 हिस्से का खातेदार गलत दर्ज कर दिया। इसके बाद की जमाबंदी में भी प्रतिवादी सं. 1 हिस्सा 2/9 गलत चला आ रहा है तथा सायल के पिता के देहांत उपरांत सायल व प्रतिवादी सं. 4 हिस्सा 1/5 दर्ज कर दिये, तथा सायल व तरतीबी प्रतिवादी सं. 7 ने रामखिलाड़ी के वारिसों से उनका हिस्सा 1/6 मुताबिक हिस्सा क्रमशः 2/3 यानि 1/9 हिस्सा सायल ने 1/3 हिस्से के अनुपात से 1/18 प्रतिवादी सं. 7 नरेश द्वारा खरीद किया, लेकिन सायल का हिस्सा 1/9 के बजाय 2/9 गलत दर्ज कर दिया। जो कि काबिल दुरुस्ती के है। लिहाजा सायल अपना संपूर्ण हिस्सा 1/15 व 1/9 व 1/6 कुल हिस्सा 31/90 अपने नाम दर्ज करा पाने का अधिकारी है तथा गैरसायलान सं. 1/1 से 1/7 हिस्सा 2/9 के बजाय 1/6 बाहिस्सा बराबर दर्ज किया जावे तथा इनके नाम हो रहे पूर्व इन्द्राजात कलमजन किये जावें। इसके अलावा शेष इन्द्राजात प्रतिवादी सं. 4 लगायत 10 बदस्तूर कायम रखें जावें।

5. यह है कि उक्त आराजी पर गैरसायलान सं. 1 लगायत 1/7 के नाम हिस्सा 1/6 के बजाय हिस्सा 2/9 के गलत इन्द्राजात के आधार पर उन्होंने उक्त हिस्सा दिनांक 20.08.16 को दीगर व्यक्ति को रहनबयमुतकिल करने की धमकी दी है। अगर गैरसायलान उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो सायला को अजीम क्षति होगी। इसलिये गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने की अधिकारी है कि वे आराजी का विक्रय नहीं करें । रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अंत में प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान का ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे आराजी का विक्रय नहीं करें । रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंदी किया जावे कि वो विवादित आराजी व वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with CamScanner

की आराजी में मदाखलत मजामहत न करे कब्जे से बेदखल न करे रहनवयमंतकिल न करे तथा जिस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी/सायला का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रार्थी की तरफ से श्री फूलसिंह एडवोकेट पेश हुये। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 1/1 लगायत 1/4 की ओर से प्रेमचन्द एडवोकेट उपस्थित हुये, शेष के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। गैरसायलान सं. 1/1 लगायत 1/4 की ओर से जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है :–

यह है कि विवादित आराजी वर्णित होना स्वीकार है तथा प्रार्थी को इसकी जानकारी करीब 35 साल पूर्व अपने पिता के जीवनकाल से थी। प्रार्थी व उसके पिता ने जानकारी के बावजूद कोई भी दावा पूर्व में नहीं किया तथा हाल जमाबंदी में दर्ज हिस्से दारी पर प्रार्थी काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी 1/1 लगायत 1/7 अपने दर्ज हिस्सा 2/9 पर करीब 35 साल पूर्व से ही काबिज है। अतः प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/7 को सुखाधिकार प्राप्त हो गया है। प्रार्थी अब इतने लंबे समय बाद कोई दुरूस्त करा पाने का अधिकारी नहीं है न ही किसी प्रकार की कोई धमकी दी गयी है। लिहाजा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

सायला द्वारा अपने प्रार्थना के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी हाल संवत 2071–74 वाके ग्राम जहांगीरपुर, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060, नकल जमाबंदी संवत 2044–45 वाके ग्राम जहांगीरपुर, नकल फोटोप्रति वयनामा दिनांक 18.06.1983 तहसील नदबई पेश किये गये।

गैरसायलान द्वारा अपने जबाब के समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

सायला एवं गैरसायल वकील की बहस सुनी गयी, उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलों द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। हमने दोनों उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि :–

1. प्राईमाफेसी केस :– सायल द्वारा दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89,188 के अंतर्गत खातेदारी की घोषणा का पेश किया है। जिसमें वादी/सायल विवादित भूमि में प्रतिवादीगण के नाम चल रहे गलत इन्द्राजात को दुरूस्त करवाकर अपने नाम करवाना चाहता है तथा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद का बिंदु विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में चल रहे गलत इन्द्राजत है। विवाद के बिंदु का निस्तारण दोनों पक्षों से साक्ष्य लेकर सुनवायी के वाद तय किया जावेगा। तब तक विवादित भूमि के वर्तमान रिकॉर्ड की स्थिति बनाये रखना क्योंकि विवाद रिकॉर्ड दुरूस्ती का है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है।

सहायक कलक्टर
जिला भरतपुर

Scanned with CamScanner

2. सुविध संतुलन :– प्रकरण में प्राईमाफेसी केस सायला के हक में होने के कारण सुविधा का संतुलन भी सायल के हक में है।
3. अपूर्णीय क्षति :– अगर स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जाता है तो अनावश्यक मुकदमेबाजी व दावे के निस्तारण मे देरी व पेचीदगी बढेगी जो प्रार्थी के लिये अपूरणीय क्षति होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर सायला का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिंदुओं सायला/प्रार्थीया के हक में होने के कारण जारीशुदा स्थगन आदेश को कन्फर्म किया जाना उचित है। अतः विवादित आराजी खाता सं. 361 के आराजी खसरा न. हाल बंदोबस्ती हाल आराजी खसरा नम्बरान 315 रकबा 0.51, 1981 रकबा 0.82, 1922 रकबा 0.97, 1923 रकबा 0.24, 1924 रकबा 0.24, 1927 रकबा 0.48, 1930 रकबा 0.34, 1933 रकबा 0.18, 1936 रकबा 0.75, 1937 रकबा 0.63, 1938 रकबा 0.39, 1966 रकबा 0.37, 1968 रकबा 0.37 किता 13 कुल रकबा 6.29 है, वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई पर दिनांक 13.01.2016 को जारी किया गया स्थगन आदेश ताफैसला मुकदमा कन्फर्म किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात को रहनवयमुंतकिल नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना R.A.S.)
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner